FORM 21C (See rule 64) (For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 154-Mavli Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(Name) SHRI. DHARMNARAYAN JOSHI

(Address) Rashtra bharti Academy, Nela, Sec-14, Udaipur

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Udaipur Date : 11 Dec 2018 क्षेत्र अगित्र क्षेत्र अगित्र क्षेत्र क्षेत्र

(Mohan Singh)

1867 URNING OFFICER

154 MAYLL CONSTITUENCY

154 FIGOR FOR BRITTER

निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 154-मावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री धर्मनारायण जोशी	(नााम)
राष्ट्रभारती एकेडमी, नेला, सेक्टर–14, उदयपुर	(पता)
भारतीय जनता पार्टी	मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए है।

स्थान:

उदयपुर

दिनांक

11 दिसम्बर 2018

हस्ताक्षर

रिटर्निंग ऑफिसर

(एस.डी.एम.) मावली

154-मादली विपानसभा निर्वापन क्षेत्र